बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

अधि0सू0 संख्या–भवन / 11 / आरोप(मधुबनी)–19 / 2016........11717 (भ)......./ पटना, दिनांक– 28/12/17

:: अधिसूचना ::

श्री राम सेवक बैठा, तत्कालीन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधुबनी सम्प्रति सहायक अभियंता, भवन अवर प्रमंडल, बेनीपट्टी, भवन प्रमंडल, मधुबनी के विरूद्ध ग्रामीण कार्य विभाग, में पदस्थापन काल के दौरान ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत क्रियान्वित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाबू बरही के भवन का उत्क्रमण कार्य के सम्पादन में प्राक्कलन के अनुसार कार्य नहीं कराने, मापी–पुस्त अपने पास रखकर विभिन्न तिथियों में मापी–पुस्त में छेड़–छाड़ करने के आरोप के लिये ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक–3667 दिनांक–01.10.2013, पत्रांक–4369 दिनांक –06.12.2013, पत्रांक–1228 दिनांक–25.04.2014, पत्रांक–2271 दिनांक–18.07.2014 एवं पत्रांक –1573 दिनांक–11.05.2015 द्वारा इन्हें स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया। किन्तु अनेक स्मारों के बावजूद श्री बैठा द्वारा अपना स्पष्टीकरण ग्रामीण कार्य विभाग में समर्पित नहीं किया गया। अतः उक्त आरोपों के संदर्भ में आरोप प्रपत्र–''क'' गठित करते हुये श्री राम सेवक बैठा का पैतृक विभाग भवन निर्माण विभाग होने के कारण ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2814 दिनांक–16.09.2016 द्वारा इनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई हेतु भवन निर्माण विभाग से अनुरोध किया गया।

ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक–2814 दिनांक–16.09.2016 से प्राप्त आरोप प्रपत्र–''क'' के आलोक में विभागीय पत्रांक–39 (भ0) दिनांक–06.01.2017 द्वारा श्री राम सेवक बैठा सहायक अभियंता से स्पष्टीकरण की माँग की गयी एवं विभागीय पत्रांक–1945(भ0) दिनांक–06.03.2017, पत्रांक–9868(भ0) दिनांक–07.11.2017 तथा पत्रांक–10763(भ0) दिनांक–01.12.2017 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु इन्हें स्मारित किया गया। किन्तु इनके स्तर से भवन निर्माण विभाग में भी स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया।

अतः ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा गठित आरोप प्रपत्र–''क'' एवं इस संदर्भ में स्पष्टीकरण नहीं समर्पित करने के लिये भवन निर्माण विभाग के अधीन समीक्षोपरांत सरकार के निर्णयानुसार श्री राम सेवक बैठा, तत्कालीन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधुबनी सम्प्रति सहायक अभियंता, भवन अवर प्रमंडल, बेनीपट्टी, भवन प्रमंडल, मधुबनी के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम–14 (i) एवं (iv) के तहत निम्नांकित दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है :–

1. **निदंन (आरोप वर्ष, 2008–09)**
2. **तीन वर्षो से अनधिक अवधि के लिये, संचयी प्रभाव के बिना कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर अवनत।**

प्रस्ताव में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(रवि शंकर चौधरी)
सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–भवन / 11 / आरोप(मधुबनी)–19 / 2016.......11718 (भ)......./ पटना, दिनांक– 28/12/17

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पंथ, पटना / वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,

ज्ञापांक–भवन / 11 / आरोप(मधुबनी)–19 / 2016 11718 (वि) / पटना, दिनांक– 28/12/17

प्रतिलिपिः–उप सचिव, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/12/2017

सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–भवन / 11 / आरोप(मधुबनी)–19 / 2016 11718 (वि) / पटना, दिनांक– 28/12/17

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

28/12/2017

सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–भवन / 11 / आरोप(मधुबनी)–19 / 2016 11718 (वि) / पटना, दिनांक– 28/12/17

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग / पथ निर्माण विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग / पथ निर्माण विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटनाको उनके पत्रांक–2814 दिनांक–16.09.2016 के संदर्भ में / अपर सचिव / संयुक्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना / जिला पदाधिकारी, मधुबनी / सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना / अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, दरभंगा, भवन निर्माण विभाग / कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल मधुबनी / अवर सचिव, भवन निर्माण विभाग / श्री राम सेवक बैठा, तत्कालीन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रंमडल, मधुबनी सम्प्रति सहायक अभियंता, भवन अवर प्रमंडल, बेनीपट्टी, भवन प्रमंडल, मधुबनी, भवन निर्माण विभाग / आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को विभागीय वेब साइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/12/2017

सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।